(५४)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)–यू40109आरजे2000एसजीसी016483
पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाऊस, जोधपुर – 342003
फोन नं. : 0291–2742232 फैक्स नं. : 0291–5106031
ईमेल : caobrju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

एफ.1 ( )/जोविविनिलि/प्र.नि./मु.ले.नि./शाखा (राजस्व)/प्रे. 25 दिनांक 2/5/19

परिपत्र

जोधपुर डिस्कॉम के विभिन्न वृतों के अन्तर्गत माह मार्च 2019 तक की बिलिंग एवं राजस्व सम्बन्धी कार्यकरण की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उपखण्ड कार्यालयों में रीडिंग मंगवाने एवं बिलिंग करवाने का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं चल रहा है जिससे T&D हानि में वृद्धि एवं उपभोक्ताओं को असुविधा होती है। वाणिज्यिक आधार पर विद्युत वितरण निगम के संचालन को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर राजस्व एवं बिलिंग से सम्बन्धित कार्य दक्षता पूर्वक किए जाये। इस हेतु निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं:–

1. बिलिंग माह मई 2019 से प्रत्येक उपभोक्ता को वास्तविक रीडिंग के अनुसार ही बिल जारी किए जाएं। यदि मीटर रीडर द्वारा लॉक (L)/रीडिंग नहीं ली गई (N)/ रीडिंग लेने में बाधा (O) लाया जाता है तो सहायक राजस्व अधिकारी ऐसे उपभोक्ताओं के परिसर की पुनः जाँच करवाकर वास्तविक रीडिंग मंगवाना एवं सही रीडिंग से बिलिंग करवाना सुनिश्चित करें।

2. अस्थायी उपभोक्ताओं के वास्तविक उपभोग के आधार पर प्रतिमाह नियमित रूप से बिल जारी कर वसूली सुनिश्चित की जाये एवं उनका उचित रिकॉर्ड यथा मासिक मीटर पठन, जमा राशि की रसीद नं. इत्यादि का अस्थायी उपभोक्ता (Temp. Consumer) का संधारण निर्धारित लेजर/पंजिका में संधारण किया जाए। रेवेन्यू मेन्यूअल के चैप्टर क्रमांक IV पेरा क्रमांक 52 पर वर्णित प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाये।

3. किसी भी उपभोक्ता के विद्युत बिलिंग की राशि के भुगतान की किश्तें/पार्ट पेमेन्ट नहीं की जाए। विशेष परिस्थिति में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से ही आंशिक भुगतान स्वीकार किया जाये तथा किश्त के पश्चात् उसका सम्पूर्ण रिकॉर्ड एक पंजिका में रखा जाए एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

4. PCCB प्रतिदिन भरी जाए एंव शेष को प्रतिदिन PCB में ट्रांसफर करना सुनिश्चित किया जाए। स्टब्स् का इन्द्राज भी HCL सिस्टम में भी उसी दिन किया जाए एवं राजस्व वसूली के विरूद्ध प्राप्त चैक को उसी दिन बैंक में जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस सन्दर्भ में विशेष दिशा निर्देश रेवेन्यू मेन्यूअल के चैप्टर क्रमांक VII पेरा क्रमांक 89–96 में वर्णित है।

(२)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त निर्देशों की पालना का प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी का रहेगा एवं सहायक अभियन्ता इसकी पालना सुनिश्चित करवायेंगे। समस्त वृत सहायक लेखा अधिकारी (राजस्व) एवं लेखाधिकारी अपने वृत के उपखण्डों की जाँच करते समय उक्त निर्देशों की पालना की जाँच करेंगे एवं वृत अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य लेखाधिकारी (B&R) को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उपर्युक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ.एस.के.गोयल)
मुख्य लेखा नियंत्रक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ...
2. श्रीमान् मुख्य लेखाधिकारी, ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ...
3. श्रीमान् तकनीकी सहायक प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर
4. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ...
5. श्रीमान् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ...
6. श्रीमान् निजी सहायक अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर।
7. श्रीमान् निजी सहायक निदेशक (वित्त/तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर
8. श्रीमान् सहायक लेखाधिकारी (राजस्व), जोधपुर डिस्कॉम, ...

मुख्य लेखा नियंत्रक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

Scanned by CamScanner